

10

IN THE COURT OF THE ARBITRATOR-CUM-ADDITIONAL  
COLLECTOR, SARAIKELA-KHARSWAN

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता० .....

जिला-सरायकेला-खरसावों

Arbitration वाद सं०- 11/2020

अंबुज गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 12/2020

शंकर गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 15/2020

घासीराम गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 16/2020

लखिन्द्र गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 17/2020

लखिन्द्र गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 18/2020

अमर चन्द्र गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 19/2020

(1) रिषि गोप (2) गम्भू गोप (3) सुखदेव गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

(7)

Arbitration वाद सं०- 20/2020

बलराम गोप एवं परमेश्वर गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 21/2020

श्रीमति सजिता गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 22/2020

अमीन चन्द्र गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 23/2020

गोपेश्वर गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 24/2020

आकाश कुमार गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 25/2020

जगन्नाथ गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं०- 26/2020

संतोष गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम अधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

↓

3

Arbitration वाद सं0- 27/2020

(1) लालजी राय (2) हरेन्द्र राय वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं0- 28/2020

बलराम गोप एवं परमेश्वर गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं0- 29/2020

गीता रानी गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं0- 30/2020

विपद तारण पाण्डे वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

Arbitration वाद सं0- 34/2020

अम्बुज गोप वनाम

1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावो
2. सक्षम प्रधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावो
3. Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur NHAI

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	<p><u>Arbitration वाद सं0- 11/2020</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अंबुज गोप, पिता स्व0 बरूण गोप, ग्राम-तेतला, पो0- तिल्ला, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावो, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 22/2014-15, Award No-45, में अधिग्रहित भूमि का</p>	

↓

निर्धारित राशि- 79,107.00 (उनासी हजार एक सौ सात) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी-सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA। है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
तैतला	278	39	98	0.05	45	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 12/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक शंकर गोप, पिता-स्व० बिपिन गोप, ग्राम-लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-21, में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 12,78,994.00 (बारह लाख अठहतर हजार नौ सौ चौरानवे) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India PIU Durgapur, NHA। है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	78	502	21	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 15/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक घासीराम गोप, पिता- गिरिधारी गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-112 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 4,85,139.00 (चार लाख पचासी हजार एक सौ उनचालीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के

तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA। है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	311	1274	112	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 16/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लखिन्द्र गोप, पिता- स्व० गोविन्द गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-27 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 11,46,687.00 (ग्यारह लाख छियालीस हजार छः सौ सतासी) रु० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA। है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	78	506	27	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 17/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लखिन्द्र गोप, पिता- स्व० गोविन्द गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-24 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 14,11,307.00 (चौदह लाख ग्यारह हजार तीन सौ सात) रु० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3)





Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	78	504	24	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 18/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अमर चन्द्र गोप, पिता – स्व० फलारी गोप, ग्राम– लुपुंगडीह, पो०– तनकोचा, थाना– नीमडीह, जिला– सरायकेला– खरसावों, राज्य– झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-129 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि– 15,87,720.00 (पन्द्रह लाख सतासी हजार सात सौ बीस) ₹० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला–खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी– सह– जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	29	1260	129	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 19/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) रिषि गोप (2) गम्भू गोप, (3) सुखदेव गोप, तीनों के पिता– अयोध्या गोप, ग्राम– लुपुंगडीह, पो०– तनकोचा, थाना– नीमडीह, जिला– सरायकेला–खरसावों, राज्य– झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-23 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि– 29,10,821.00 (उनतीस लाख दस हजार आठ सौ इक्कीस) ₹० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला–खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी– सह–

↓

(7)

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA। है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	78	503	23	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 20/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) बलराम गोप (2) परमेश्वर गोप, दोनों के पिता- अजीत गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-25 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 2,20,514.00 (दो लाख बीस हजार पांच सौ चौदह) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA। है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	78	505	25	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 21/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्रीमति सजिता गोप, पति- गोपेश्वर गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-78 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 2,64,620.00 (दो लाख चौंसठ हजार छः सौ बीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5)



6

के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	201	323	78	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 22/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अमीन चन्द्र गोप, पिता- नन्दी गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-66 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 3,08,721.00 (तीन लाख आठ हजार सात सौ इक्कीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHA है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	107	341	66	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 23/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक गोपेश्वर गोप, पिता-लेदाम गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-79 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 3,52,827.00 (तीन लाख बावन हजार आठ सौ सताईस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2)



सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3)  
Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	201	323	79	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 24/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक आकाश कुमार गोप, पिता - पंडित चन्द्र गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-45 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 3,52,828.00 (तीन लाख बावन हजार आठ सौ अठाईस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	89	1263	104	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 25/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक जगन्नाथ गोप, पिता- स्व० ज्योति गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-165 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 4,41,033.00 (चार लाख एकचालीस हजार तैंतीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी,

सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India,PIU Durgapur, NHAI है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवाई घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	201	323	165	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 26/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक संतोष गोप, पिता- जमक गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-148 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 11,46,687.00 (ग्यारह लाख छियालीस हजार छः सौ सतासी) रु० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त,सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India,PIU Durgapur, NHAI है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवाई घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	120	1447	148	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 27/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) लालजी राय (2) हरेन्द्र राय, दोनों के पिता- सेवा लाल राय, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-167 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 5,73,346.00 (पांच लाख तिहतर हजार तीन सौ छियालीस) रु० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त,सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India,PIU Durgapur, NHAI है।

↓

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	311	1274	167	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 28/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) बलराम गोप (2) परमेश्वर गोप, दोनों के पिता - अजीत गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-26 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 4,85,139.00 (चार लाख पचासी हजार एक सौ उनचालीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	78	506	26	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

Arbitration वाद सं०- 29/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक गीता रानी गोप, पति- अमर चन्द्र गोप, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-48 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 6,17,447.00 (छः लाख सतरह हजार चार सौ सैंतालीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है। वादी गीता रानी गोप @ गीता देवी के मृत्यु होने के कारण वादी के पति अमर चन्द्र गोप के पक्ष में Substitution हेतु दायर आवेदन स्वीकार

किया गया है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	42	414	48	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 30/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक बिपद तारण पाण्डे, पिता स्व० अनिल पाण्डे, ग्राम- लुपुंगडीह, पो०- तनकोचा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 14/2014-15, Award No-116 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 4,41,033.00 (चार लाख एकचालीस हजार तैंतीस) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

**भूमि विवरणी**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
लुपुंगडीह	279	311	1274	116	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

**Arbitration वाद सं०- 34/2020**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अम्बुज गोप, पिता- स्व० बरुण गोप, ग्राम- तेतला, पो०- तिल्ला, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावों, राज्य- झारखण्ड द्वारा DLA case No- 22/2014-15, Award No-46 में अधिग्रहित भूमि का निर्धारित राशि- 13,569.00 (तेरह हजार पांच सौ उनहत्तर) रू० के विरुद्ध असंतुष्ट होकर National Highway Act 1956, की धारा 3G(5) के तहत वाद दायर किये हैं। इस वाद के प्रतिवादी (1) उपायुक्त, सरायकेला-खरसावों (2) सक्षम पदाधिकारी- सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों (3) Project Director, National Highway Authority of India, PIU Durgapur, NHAI है।

## भूमि विवरणी

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	Award No	अधिसूचना (3A) के प्रकाशन की तिथि	अधिघोषणा (3D) के प्रकाशन की तिथि	3G अवार्ड घोषित करने की तिथि
तेतला	278	39	100	46	24.07.2015	07.04.2016	24.12.2017

वादी एवं प्रतिवादी सं०-2 एवं 3 को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई। सुनवाई में स्वयं/प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हुए तथा LCR देखा गया। Arbitration वाद संख्या- 11/2020, 12/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020 एवं 34/2020 कुल-19 वादों में एक ही प्रकार का विषय वस्तु होने के कारण सभी वादों को Amalgamate किया गया। वादी के द्वारा दिनांक 29.10.2020 एवं 28.12.2020 को मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर लिखित अनुरोध किया गया है-

1. आवेदक/ अवार्डी मौजा-लुपुंगडीह/तेतला में अवस्थित भूमि के अधिभोगी रैयत हैं।
2. NHAI-32 परियोजना के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहित किया गया है।
3. आवेदक / अवार्डी पक्का घर/भूमि के मालिक हैं।
4. NHAI Act 1956 -की धारा 3G एवं Land Acquisition Act 2013 की धारा-37(2) के तहत फरवरी 2018 के प्रथम सप्ताह में आवेदक को मुआवजा राशि का नोटिस प्राप्त हुआ है जो उक्त में वर्णित है।
5. आवेदक / अवार्डी मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं है। Protest के साथ राशि प्राप्त किये हैं।
6. उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बंदोवस्ती में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के विपरीत अवार्ड घोषित है।
7. भूमि का मुआवजा राशि के लिए घोषित अवार्ड में बाजार मूल्य नहीं लिया गया है और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई दर निर्धारित है।
8. भूमि का भविष्य के उपयोगिता का भी consider नहीं किया गया है।
9. भूमि का वर्गीकरण एवं नापी सक्षम प्राधिकार द्वारा गलत किया गया है। भूमि का प्रकृति आवासीय एवं व्यवसायिक है। यह भूमि NH-32 के बगल में है।
10. मौजा-लुपुंगडीह/तेतला चाण्डल बाजार से सटा हुआ है। इसके समीप चाण्डल रेलवे स्टेशन भी है।
11. आवेदक का अधिग्रहित भूमि आवासीय / व्यवसायिक प्रकृति का है एवं भूमि पर आवेदक का पक्का/कच्चा घर/ होटल/दुकान चल रहा था।
12. इस क्षेत्र में औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्रिया कलाप काफी संख्या में है एवं चाण्डल बाजार से सटे होने के कारण बड़ा बाजार, रेलवे स्टेशन, FCI गोदाम, अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान आदि अवस्थित है।
13. सर्वे खतियान वर्ष 1962 में वर्णित भूमि निम्न श्रेणी की भूमि थी परंतु वर्तमान में परिवर्तित

होकर आवासीय एवं व्यवसायिक प्रकृति का हो चुका है जिसे जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा विचार नहीं किया गया है।

14. भूमि पर अवस्थित फलदार/व्यवसायिक वृक्ष का मुआवजा पर भी विचार नहीं किया गया है।
15. यह अवार्ड नियम के विरुद्ध घोषित किया गया है।
16. संबंधित क्षेत्र में प्रतिदिन भूमि दरों में वृद्धि हो रही है। भूमि के समीप बिन्नी आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट नामक कंपनी के द्वारा भी भूमि क्रय किया गया है।
17. आवेदक/अवार्डी वर्ष 1990 में भी सुवर्णिखा बहुदेशीय परियोजना से विस्थापित हो चुके हैं।
18. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के धारा-21 के तहत निर्गत नोटिस के पश्चात आवेदक के द्वारा भूमि मूल्य 1,25,000.00 ₹0 प्रति डी0 करने का आपत्ति है। आवेदक के द्वारा 1,25,000.00 ₹0 प्रति डी0 भूमि मूल्य का मुआवजा देने का दावा है।
19. आवेदक नियमानुसार अधिनियम की धारा-30(1),30(3) एवं 72 के प्रावधानों के तहत लाभ के हकदार हैं।
20. जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा तैयार किये गये मूल्यांकन प्रतिवेदन अस्वीकृत किये जाने योग्य है जिसमें भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य नहीं लिया गया है।
21. संबंधित क्षेत्र औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र होने के कारण आवासीय/ व्यवसायिक दर प्रति डी0 भूमि मूल्य-1,25,000.00 ₹0 करने का आग्रह है।

उक्त के प्रत्युत्तर में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा निम्न विन्दुओं पर दिनांक 21.01.2022 को लिखित पक्ष रखा गया है -

1. अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में भू-अर्जन की कार्रवाई की जाती है।
2. अंचल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पंजी-2 रैयत को पंचाटी घोषित की जाती है।
3. रैयती भूमि का 3G निर्धारण National Highway Act-1956 or Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation And Resettlement Act 2013 के धारा-26(1)(क) के आलोक में जिला निबंधन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राशि निर्धारित की गई है। तदनुसार पंचाटियों को अधिग्रहित भूमि के अनुरूप मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।
4. अधिग्रहित भूमि के किस्म का निर्धारण भू राजस्व में वर्णित आधार के आलोक में किया गया है।
5. अधियाची विभाग, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-32 दुर्गापुर एवं कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावाँ के संयुक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर वादी गण एवं अन्य के रैयती भूमि पर का मुआवजा राशि का निर्धारण National Highway Act-1956 or Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation And Resettlement Act 2013 के नियमानुसार निबंधन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-32 का फॉरलेन/चौड़ीकरण हेतु चाण्डिल अंचलान्तर्गत मौजा-लुपुंगडीह, थाना नं0-279 में रकवा-15.66733 एकड़ तथा मौजा-तेतला, थाना सं0-278 में रकवा- 7.81265 एकड़ रैयती भूमि का 3G के तहत दर निर्धारण National Highway Act-1956 or Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation And Resettlement Act 2013 के तहत नियमानुसार पंचाट

घोषित कर पंचादियों को मुआवजा भुगतान किया गया है।

उक्त के प्रत्युत्तर में दिनांक 21.02.2022 को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः निम्न विन्दुओं पर लिखित पक्ष रखा गया है -

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-32 फोर लेन चौड़ीकरण हेतु ग्राम-लुपुंगडीह, धाना नं0-279 एवं ग्राम-तेतला, धाना नं0-278, धाना-नीमडीह, जिला-सरायकेला-खरसावों में भू-अर्जन की कार्रवाई की गई है।
2. उक्त परियोजना हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(घ) की उपधारा (2) के अंतर्गत DLA case No- 14/2014-15 एवं DLA case No- 22/2014-15 के अधीन भूमि का अर्जन कर वर्णित वादों से संबंधित भू-धारियों के नाम दिनांक 26.12.2017 से नोटिस निर्गत की गई।
3. भू-धारियों द्वारा सरकार द्वारा अर्जित भूमि के निर्धारित मुआवजा राशि पर आपत्ति उठाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के धारा 3G(5) के अंतर्गत अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, सरायकेला-खरसावों के समक्ष आपत्ति आवेदन दाखिल की गई।
4. भू-धारियों द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन पर संबंधित न्यायालय द्वारा L.A. Arbitration Case no-11/2020, 15/2020, to 30/2020 एवं 34/2020 (कुल-19 वाद) दर्ज की गई।
5. न्यायालय द्वारा वर्णित वाद से संबंधित भू-धारियों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत की गई तथा उक्त नोटिस के आधार पर सभी भू-धारी द्वारा न्यायालय में निर्धारित तिथि को अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई गई।
6. अर्जित भूमि का बिना किसी कागजात एवं स्थल निरीक्षण किए तथा NHA1 एवं सक्षम पदाधिकारी सरायकेला-खरसावों द्वारा गलत वर्गीकरण कर बहुत कम दर पर मनमाने ढंग से मुआवजा राशि निर्धारित किया गया जो भू-धारियों को अमान्य है।
7. अर्जित भूमि के वाद से संबंधित भूमि का स्वरूप /प्रकृति बारी, मकान, होटल, दुकान अर्थात् आवासीय एवं व्यवसायिक स्वरूप है। जबकि सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त वाद से संबंधित भू-धारियों को कृषि स्वरूप के आधार पर मुआवजा तय किया गया है जो भू-धारियों के साथ अन्याय है एवं भू अर्जन प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णरूपेण उल्लंघन किया गया है।
8. भू अर्जन प्रावधान में स्पष्ट वर्णित है कि वर्तमान बाजार मूल्य/वर्गीकरण के आधार पर एवं वर्तमान स्वरूप को मान्य करते हुए दर निर्धारण किया जाना है। जिसे नजरअंदाज किया गया है जबकि सक्षम पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों द्वारा मकान के मुआवजा से संबंधित नोटिस एवं मकान धारियों को भुगतान की गई मुआवजा राशि प्रमाणित करती है कि वाद से संबंधित भूमि आवासीय प्रकृति की है। वैसे आवेदकगण जिनके वाद से संबंधित जमीन पर आवास/होटल/दुकान अवस्थित था, उन्होंने मकान का मुआवजा आपत्ति के साथ प्राप्त करते हुए माननीय आर्बिट्रेटर के न्यायालय में संरचना से संबंधित मुआवजा की वढ़ोतरी के लिए अलग से वाद दायर किया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से वर्णित है -

क्र0सं0	जमीन से संबंधित वाद	मकान से संबंधित वाद संख्या/अभियुक्ति
---------	---------------------	--------------------------------------

1	Arbt. Case No-11/2020	Arbt. Case No-08/2020
2	Arbt. Case No-12/2020	Arbt. Case No-13/2020
3	Arbt. Case No-15/2020	Arbt. Case No-07/2020
4	Arbt. Case No-16/2020	मकान का मुआवजा प्राप्त बाद दायर नहीं
5	Arbt. Case No-17/2020	मकान का मुआवजा प्राप्त बाद दायर नहीं
6	Arbt. Case No-18/2020	मकान का मुआवजा प्राप्त बाद दायर नहीं
7	Arbt. Case No-19/2020	Arbt. Case No-01/2020
8	Arbt. Case No-20/2020	मकान अवस्थित नहीं, आवास निर्माण योग्य
9	Arbt. Case No-21/2020	Arbt. Case No-05/2020
10	Arbt. Case No-22/2020	Arbt. Case No-06/2020
11	Arbt. Case No-23/2020	Arbt. Case No-03/2020
12	Arbt. Case No-24/2020	मकान का मुआवजा प्राप्त बाद दायर नहीं
13	Arbt. Case No-25/2020	मकान का मुआवजा प्राप्त बाद दायर नहीं
14	Arbt. Case No-26/2020	मकान अवस्थित नहीं, आवास निर्माण योग्य
15	Arbt. Case No-27/2020	मकान अवस्थित नहीं, आवास निर्माण योग्य
16	Arbt. Case No-28/2020	मकान अवस्थित नहीं, आवास निर्माण योग्य
17	Arbt. Case No-29/2020	Arbt. Case No-02/2020
18	Arbt. Case No-30/2020	Arbt. Case No-04/2020
19	Arbt. Case No-34/2020	Arbt. Case No-09/2020

9. मकान से संबंधित आवेदक द्वारा अपने जमीन एवं मकान का तत्कालीन मान्यता प्राप्त वैलुवर सी0ए0 राठीर, चाईबासा के द्वारा अपने जमीन एवं संरचना का मूल्य निर्धारण भी करवाया था। दृष्टांत के लिए आवेदक अम्बुज गोप का वैलुवेशन रिपोर्ट संलग्न है।
10. उपरोक्त विवरण प्रमाणित करता है कि संबंधित वाद में अर्जित भूमि आवासीय किस्म की है। जिसपर निर्मित मकान/ दुकान / होटल आदि के संरचना का भुगतान भी हो चुका है। जमीन का आवासीय किस्म का होना स्वतः प्रमाणित है। परन्तु उक्त को नजरअंदाज करते हुए कृषि योग्य भूमि का निर्धारित दर के आधार पर मुआवजा तय किया गया है। जबकि वर्णित वाद से संबंधित भू-धारी आवासीय किस्म की निर्धारित दर के आधार पर मुआवजा पाने के हकदार है।
11. उपरोक्त वर्णित वादों से संबंधित खतियान आज से वर्षों पुराना है एवं उक्त अवधि में उक्त अर्जित भूमि संभवतः कृषि योग्य हो परन्तु वर्तमान में उसपर निर्मित मकान/दुकान/होटल इसे आवासीय श्रेणी में रखता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का मुआवजा निर्धारित करना कानूनी तौर पर सरासर गलत है।
12. वर्णित वाद से संबंधित अर्जनाधीन भूमि पूर्व से निर्मित डबल लेन NH-32 के अगल-वगल अवस्थित है एवं पूर्णरूपेण रिहायसी परिक्षेत्र में अवस्थित है। उक्त डबल लेन के चौड़ीकरण कर फोर लेन निर्माणार्थ भूमि अर्जित की गई है। साथ ही अर्जित भूमि चाण्डल बाजार में अवस्थित है, जहाँ बड़ा बाजार, चाण्डल जंक्शन, कोल्ड स्टोरेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इत्यादि अवस्थित है। जो अर्जित भूमि की उपयोगिता एवं महत्व को बढ़ा देती है। साथ ही उक्त भूमि का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए भी किया जा रहा है।



13. प्रश्नगत अधिग्रहित भूमि का केडस्ट्राल सर्वे सन् 1962 के आस-पास हुआ था जिसमें उक्त भूमि का निम्न श्रेणी की कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया है। परंतु बदलते परिवेश के साथ वर्तमान में उक्त भूमि की प्रकृति आवासीय अथवा व्यवसायिक भूमि के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जिसे सक्षम पदाधिकारी एवं NHAI के अधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए निम्न दर से मुआवजा राशि तय की गई है। जो बिल्कुल तर्कहीन के साथ-साथ न्यायसंगत भी नहीं है।
14. अर्जित भूमि एवं इसके अगल-बगल भूमि के मूल्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। जो वर्तमान में एक लाख पचीस हजार रूपये प्रति डी0 खरीद-विक्री का प्रचलित दर है।
15. इस संदर्भ में निबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-1319, दिनांक 28.07.2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 8 डी0 तक के जमीन का निर्धारण आवासीय भूमि हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्धारण कर खरीद-विक्री की जाएगी। इस पत्र के आलोक में भी वर्णित वाद से संबंधित अर्जित भूमि आवासीय श्रेणी में आता है क्योंकि वाद से संबंधित सभी अर्जित भूमि 8 डी0 से कम की है।
16. समरूप मामले में न्यायालय-अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर NH-31 कोडरमा के द्वारा पारित किया गया न्याय निर्णय वृष्टांत के लिए संलग्न किया गया जा रहा है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि अधिसूचना के पूर्व प्रश्नगत भूमि पर संरचना अवस्थित था। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसका भुगतान भी किया जा चुका है। अतएव आवेदक प्राक्कलन में वर्णित भूमि किस्म आवासीय के लिए निर्धारित दर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है एवं लागू की गई है वो पाने का अधिकारी है। साथ ही आवेदक L.A.A.R. Act 2013 के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधान के अनुसार देय अन्य लाभ के हकदार है।
17. सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा मौजा-लुपुंगडीह में DLA case No- 14/2014-15 में कलावती गोप एवं हरिपदो गोप को आवासीय भूमि के आधार पर मुआवजा का निर्धारण कर भुगतान किया गया है। चूंकि आवेदकगण के प्रश्नगत भूमि पर भी मकान अवस्थित है। अतः समान रूप से आवासीय दर पर पुनर्गणना करते हुए आवेदकों को मुआवजा का भुगतान किया जाय।
18. उपरोक्त सभी वादों से संबंधित अर्जित भूमि पूर्णरूपेण आवासीय एवं व्यवसायिक प्रकृति की है। अतः वर्णित वादों में निहित भूमि का मुआवजा विभाग द्वारा निर्धारित आवासीय भूमि के दर से भू-धारी मुआवजा पाने के पूर्ण हकदार है।
19. वर्तमान वादों के भू-धारी भू-अर्जन प्रावधान 2013 के अंतर्गत निर्धारित आवासीय दर के साथ-साथ अन्य सोलेशियम, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति एवं देयसूद के भी हकदार हैं।
20. दिनांक 06.07.2022 को सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के द्वारा CIVIL APPEAL NOS. 368-369 OF 2022 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NOS. 3526-27 OF 2019 MADHUKAR S/O GOVINDRAO KAMBLE & Versus VIDARBHA IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION & ORS. में पारित आदेश की प्रति संलग्न किये हैं।

अतएव उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्षों को सुनने एवं सुनवाई के दौरान दाखिल कागजातों एवं साक्ष्यों के अवलोकन उपरान्त अर्जित भूमि के किस्म एवं मुआवजे की दर निर्धारण के क्रम में निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं/निष्कर्ष आते हैं -

1. Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation And Resettlement Act 2013 के धारा-26 (3) के अंतिम पारा के उपर वर्णित है कि "Provided also that the Collector shall, before initiation of any land acquisition proceedings in any area, take all necessary steps to revise and update the market value of the land on the basis of the prevalent market rate in that area." परंतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी-सह-CALA के द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है।
2. वादी के द्वारा उपलब्ध कराये गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के द्वारा CIVIL APPEAL NOS. 368-369 OF 2022 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NOS. 3526-27 OF 2019 MADHUKAR S/O GOVINDRAO KAMBLE & Versus VIDARBHA IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION & ORS. में पारित आदेश के कंडिका-11 में भी आदेशित है कि "The evidence produced by the landowners is that the acquired land is close to Educational Institutions, Banks, Tahsil Office etc. whereas there is no evidence that the irrigated agricultural land has the potential of use for either residential or commercial purposes. It is not the nature of land which alone is determinative of the market value of the land. The market value must be determined keeping in view the various factors including proximity to the developed area and the road etc. As per the evidence led by the landowners, the land acquired is ½ km from the road. The land is close to developed residential or commercial or institutional area.
3. आवेदक के द्वारा प्रभावित मकान में दुकान/ होटल चलने संबंधी किसी प्रकार का साक्ष्य / तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही तकनीकी अभियंताओं के दल द्वारा दी गई मूल्यांकन जांच प्रतिवेदन में अंकित है। इसलिए अधिग्रहित भूमि पर आवेदक द्वारा व्यवसायिक किये जाने का दावा अस्वीकृत किया जाता है।
4. आवेदक द्वारा अधिग्रहित भूमि पर अवस्थित वृक्ष आदि का मुआवजा के लिए दावा किया गया है। इस संदर्भ में LCR/ मूल्यांकन जांच दल के द्वारा अधिग्रहित भूमि पर वृक्ष आदि अवस्थित होने का किसी प्रकार का प्रतिवेदन CALA-cum- जिला भू अर्जन पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया गया है और न ही आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराई गई है। इसलिए आवेदक का यह दावा अस्वीकृत किया जाता है।
5. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-607/नि0रा0, दिनांक- 08.08.2016 में स्पष्ट निदेशित है कि मकानों/भवनों के अधिग्रहित भाग की वास्तविक स्थिति एवं शेष बचे भाग की आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोगिता के आधार पर ही क्षति का आकलन किया जाय।

↓

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-94 के अनुसार-भू-अर्जन से संबंधित परियोजनाओं के एलायमेंट में पड़ने वाले मकानों/भवनों का यदि आंशिक अथवा समूचा भाग (whole or partial part) क्षतिग्रस्त होने जाने के फलस्वरूप उक्त मकान/भवन आवासीय प्रयोजन के अनुकूल नहीं रह जाता है, तो वैसी स्थिति में संपूर्ण मकान/भवन की क्षतिपूर्ति राशि आकलित की जाएगी एवं तदनुसार हितवद्ध रैयत संपूर्ण भाग के मुआवजा राशि के हकदार होंगे। लेकिन यदि किसी मकान/भवन का बाहरी भाग यथा-चहारदिवारी इत्यादि एलायमेंट के अंदर पड़ता है, जिससे उक्त मकान/भवन आवासीय प्रयोजन का बना रहता है, तो वैसी स्थिति में हितवद्ध रैयत उतने ही भाग के मुआवजा राशि के हकदार होंगे, जितना भाग भू-अर्जन के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुआ है।

इस प्रकार तकनीकी अभियंता आदि के दल द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी-सह- CALA को समर्पित संरचना मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अधिग्रहित भूमि में से आंशिक भूमि पर ही मकान/संरचना निर्मित है। इसलिए संरचना /मकान अवस्थित भूमि ही आवासीय उपयोगिता है। शेष भाग आवासीय उपयोगिता से मुक्त है तथा आवेदक द्वारा 8 डी0 तक के जमीन का निर्धारण निबंधन विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1319, दिनांक 28.07.2009 के आलोक में अर्जित भूमि आवासीय श्रेणी में किये जाने का दावा भी उचित नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा संबंधित विभागीय पत्र उपलब्ध नहीं कराई गई है फिर भी आवेदक द्वारा दायर लिखित पक्ष के कंडिका-15 में स्पष्ट अंकित है कि 8 डी0 तक के जमीन का निर्धारण आवासीय भूमि हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्धारण कर खरीद विक्री की जाएगी। जिससे स्पष्ट होता है कि यह पत्र खरीद विक्री के मूल्य निर्धारण के संबंध में है न कि आवासीय श्रेणी के रूप में अधिसूचित किये जाने के संबंध में है।

6. जिला भू अर्जन पदाधिकारी-सह- CALA के द्वारा इसी प्रकार के मौजा लुपुंगडीह के एक मामले में DLA case No- 14/2014-15 में कलावती गोप एवं हरिपदो गोप को आवासीय भूमि के आधार पर मुआवजा का निर्धारण कर भुगतान किये जाने का आवेदक द्वारा दावा किया गया है, परंतु आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। LCR के अनुसार खतियान में वर्णित प्रकृति/किस्म मकान सहन होने के कारण मकान सहन के दर पर भूमि का मुआवजा भुगतान जिला भू अर्जन पदाधिकारी-सह- CALA के द्वारा किया गया है।

परंतु वर्तमान में सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक- 606/नि0रा0, दिनांक-08.08.2016 के द्वारा भी NHAI एवं अन्य परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि के खतियान में निहित प्रकृति/ प्रकार एवं वर्तमान स्वरूप के विन्दु पर विवादों को दूर करने हेतु उपायुक्त के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी (संबंधित) जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता (संबंधित), अंचल अधिकारी (संबंधित) तथा जिला अवर निबंधन पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे।

चूंकि यह DLA वाद इस पत्र के निर्गत तिथि के पूर्व प्रारंभ हुई है इसलिए

इस वाद में यह पत्र को लागू नहीं माना जा सकता है। परंतु इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार स्तर से भी ऐसे मामलों का निष्पादन हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन दी गई है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि अधिनियम के धारा 3A में निर्गत अधिसूचना के पूर्व प्रश्नगत भूमि के आंशिक भाग जिसमें संरचना अवस्थित था और जिसका सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भुगतान किया जा चुका है, का आवेदक के नाम पर प्राक्कलन में वर्णित भूमि किस्म आवासीय के लिए निर्धारित दर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है एवं लागू की गई है, को पाने का अधिकारी है। साथ ही LAAR Act 2013/संबंधित Arbitration Act के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान के अनुसार देय अन्य लाभ के हकदार हैं। सक्षम प्राधिकारी-सह-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावों को उपरोक्त के आलोक में पंचाट तैयार करने एवं तदनुसूप आवेदक को मुआवजा भुगतान हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश मात्र इन्हीं Arbitration वाद में उल्लेखित आवेदक जिनका भूमि पर पूर्व से संरचना थी, पर ही लागू होगा।

विधि व्यवस्था एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक -08/08/2022 को आदेश पारित किया गया।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

अपर उपायुक्त-सह-  
पंच (Arbitrator, NHA)  
सरायकेला-खरसावों ।



अपर उपायुक्त-सह-  
पंच (Arbitrator, NHA)  
सरायकेला-खरसावों ।